

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)**

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
42/20	53, 188 RTA	गोडिवा गेहरे	593/
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
विद्याबाई	बनाम	जगदीश	

वकील :- राजेश शर्मा

**आदेश पत्रक**

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विधिवत संदर्भ
--------	--------------------	---------------

6/7/20

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 5.8.20 को पेश हो।

5/8/20

आज पीठारीन अधिकाारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत रिशति में दिनांक 7.9.20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

7/9/20

आज पीठारीन अधिकाारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत रिशति में दिनांक 2.9.20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

29/9/20

आज पीठारीन अधिकाारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत रिशति में दिनांक 2.10.20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

न्याय

सिद्धांत मारुति (डॉ. विमलेश्वर)  
 विमान 5700 मारुति के एमएच  
 पेश 21/10/25

दिनांक

2

2.6.25

पत्रावली पेश हुई। कुल्लार फरीकेन 340। प्रतिकारी कुल  
 6 ता 9 व 19 की तलवी हेतु तलवाना पेश नही  
 पत्रावली काहे तलवी दिनांक 8.7.25 को पेश हो

8.7.25

भाज गीतासीन अधिकारी के अन्व कार्य में  
 बसत होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
 विनांक 2.6.8.25 को पेश हो।

*(Signature)*  
 रीडर  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

26.8.25

पत्रावली पेश हुई। कुल्लार फरीकेन 340। प्रतिकारी कुल  
 6 ता 9 व 19 की तलवी हेतु तलवाना पेश नही  
 हुआ। वकील वाली तरफ चाहते हैं। अन्तिम अवसर  
 दिया जाता है। आपन्दा तलवाना पेश नही होने  
 पर प्रकरण तलवी के अभाव के कारण 9 गिपठ 5  
 CPC के खारिज कर दिया जायेगा। कोई अवसर नही  
 दिया जायेगा। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 01.09.25  
 को पेश हो।

01-9-25

पत्रावली पेश हुई। कुल्लार फरीकेन 340। प्रतिकारी कुल  
 6 ता 9 व 19 की तलवी हेतु रजि० AD का तलवाना  
 पेश नही हुआ। वकील वाली ने एक अवसर कोर देने  
 हेतु निवेदन किया। न्यायसिद्ध के अन्तिम अवसर एक  
 कोर दिया जाता है। आपन्दा प्रकरण तलवी के अभाव  
 के कारण 9 गिपठ 5 CPC अन्तर्गत खारिज कर  
 दिया जायेगा। कोई अवसर नही दिया जायेगा। पत्रावली  
 वास्ते तलवी दिनांक 27.10.25 को पेश हो।

27.10.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वाली वस्त्र वाली उप-  
 नधी भी वकील वाली वस्त्र वाली की बीच नार  
 कानाठ लगना गये। वाक्यसु सुनकर हे न्याया-के  
 उप- नधी में कल: कश्चि का काय कडफ हजरी  
 अडफ देरी के खोले किया जाय। पत्रावली  
 किनल सुनाए देकर काय नानील तकनीक के  
 दाखिल इफरत हो।